विदेशी श्रव्य-दृष्य अभिकरणों द्वारा भारत में, वृत्तचित्र फिल्माँकनः

पूरा भरा हुआ फार्म, वचनबद्धता के साथ हस्ताक्षरित (नीचे दें) को प्राथमिक रूप से ई-मेल द्वारा, भारत के प्रासांगिक राजदूतावासों अथवा उच्चायोगों में कार्यरत, प्रेस एवं सूचना के लिए उत्तरदायी अधिकारी को, प्रेषित करें। प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया को, भारत में, विदेश मंत्रालय के, विदेश प्रचार (एक्स पी) मण्डल द्वारा पूरा किया जाता है, जो भारत में फिल्माँकन के लिए अनुमति प्रदान करता है (नमूने के लिए एक प्रतिलिपि संलग्न है) विदेश स्थित भारतीय मिशन, इस स्वीकृति के आधार पर, भारत में फिल्माँकन के लिए, पत्रकार (''जे'') वीजा जारी करते हैं। अन्य प्रकार के वीजा ( जैसे, पर्यटन, व्यवसाय वीजा) पर वित्तचित्र के फिल्माँकन की अनुमति नही है। वीजा जारी किये जाने की स्वीकृति मिल जाने पर, मात्र फिल्माँकन के उपकरणों को आयात किये जाने की सुविधा मिलती है। फिल्म निर्माता का स्थानीय प्रतिनिधि, एक्स पी मण्डल से सीमा शुल्क की सुविधा के लिए, एक अग्रिम पत्र ले सकता है।